भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2033

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

औद्योगिक गलियारा

2033. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्थानीय विनिर्माण और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मेक इन इंडिया पहल या अन्य समान योजनाओं के तहत गोरखपुर में प्रोत्साहन के लिए पहचाने गए औद्योगिक क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या गोरखपुर में निवेश आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के भाग के रूप में, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा और प्रयागराज में दो एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर्स (आईएमसी) को अगस्त, 2024 में अनुमोदन प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्तावित कॉरिडोर के तहत, राज्य सरकार ने लगभग 380 एकड़ भूमि खरीदी है और दो क्षेत्रों में औद्योगिक भू-खंडों का विकास कर रही है।

मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी ताकि भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मेक इन इंडिया 2.0, 27 विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों पर फोकस कर रही है तथा इसे विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में ऐरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव व ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा

उपकरण, जैव-प्रौद्योगिकी, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और परिधान, रसायन व पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), चमड़ा और फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न व आभूषण, पोत परिवहन, रेलवे, निर्माण, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं, लेखा और वित्त सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, विधिक सेवाएं तथा संचार सेवाएं शामिल हैं। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क और सामान्य उद्योग पर फोकस किया गया है।

इसके अलावा, चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में निवेश आकर्षित करने के लिए उपाय करती हैं। गोरखपुर के व्यापक और सुव्यवस्थित औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 3 के तहत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीआईडीए) की स्थापना की गई थी। इस प्राधिकरण का उद्देश्य भूमि का अधिग्रहण करना और सुव्यवस्थित विकास के बाद भूमि आबंटित करना है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीआईडीए) के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1128 औद्योगिक भूखंड बनाए गए हैं, जिनमें से 1045 भूखंड आबंटित किए गए हैं। आबंटित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1071 एकड़ है। प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं में गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, फ्लैटिड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आदि शामिल हैं। पिछले वर्षों में कई इकाइयों को भूमि आबंटित की गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 को प्रोत्साहित किया है। उक्त नीति के तहत, उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, पूंजीगत सब्सिडी, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले ईपीएफ अंशदान का सरकार द्वारा रिफंड आदि अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उक्त नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायत/प्रोत्साहन का प्रावधान है। इस नीति में कौशल विकास पर भी विशेष बल दिया गया है।

भारत सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी) स्कीम के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फ्लैटिड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (एफएफसी) नामक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 33.9211 करोड़ रुपए है और इसमें भारत सरकार का अनुदान 12 करोड़ रुपए है।

*****